

No. RMP/SDM/SDK/2021- 1184
Office of the sub-Divisional Magistrate
Rampur Bushahr, District Shimla, H.P.

Date. Rampur-172001, 16 February, 2021

To,

✓ M/S Gee Cee Hydro Power Pvt. Ltd.,
VPO & Sub-Tehsil Sarahan Distt. Shimla H.P.

Subject:-


Regarding FRA Certificate for construction of Kot Dogri SHEP (10MW),
Tehsil Rampur, District Shimla.

Sir,

Kindly find enclosed herewith letter No. SML-SR-(FRA)/2020-136-137
dated 08-02-2021 recived from District Collector Shimla. On the subject cited above.(copy
enclosed)

In this context, proceeding and FRA Certificate of District Level Forest
Rights Committee held on 22-01-2021 is enclosed herewith for furthar necessary action please.
Endst. No. As above.

Yours faithfuly,


Sub Divisional Officer(c)
Rampur Bushahr Distt. Shimla.H.P.

Regd.

No. SML-SR-(FRA)-2020-136-137
Office of the Deputy Commissioner,
Shimla, District Shimla, H.P.

Dated: the Shimla,

08th February, 2021.

The Sub-Divisional Officer (C),
Rampur, District Shimla.

Subject: Regarding FRA Certificate for construction of road from Fancha to Nanti Tikkar and construction of Kot Dogri SHEP (10MW), Tehsil Rampur, District Shimla.

Sir,

Reference your letter No. RMP/SDK/2020-981 dated 14-12-2020 on the subject cited above, Two FRA Certificates issued on the basis of approval accorded in the meeting of District Level Forest Rights Committee, is enclosed herewith. Please note that the certificate and any subsequent action to be taken by the Forest department will be subject to the orders dated 03-05-2019 passed by the Hon'ble Supreme Court in CWP (Civil) No. 202/1995 and subsequent order if any issued by the Hon'ble court related to this matter.

Yours faithfully,

Addl. District Magistrate (L&O),
Shimla

FORM-II

(For projects other than linear projects)
Government of H.P.
Office of the District Collector

No. SML-SR-(57)/2020- 137

Dated: 8-2-2021

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **12-98-80 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of M/S Gee Cee Hydro Power Pvt. Ltd. for construction of Kot Dogri SHEP (10 MW) (proposed for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Mauja Khiuncha, DPF Khiuncha-1, Koot and Suru, Tehsil Rampur, District Shimla, Himachal Pradesh.

It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **12-98-80 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Sub-Division Level Committee(S) and the District Level Committee are enclosed as annexure -A to annexure B.
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication. In vernacular/Local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under FRA.
- (c) Each of concerned Gram Sabha (s) has certified that all formalities/process under FRA have been carried out and they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion.
- (d) The discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre Agriculture Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of FRA.



(Aditya Negi)
District Collector,
Shimla District (H.P.)

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA
DISTRICT SHIMLA, HIMACHAL PRADESH**

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act, 2006.

A meeting of the District Level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/Chairpersonship of Shri Aditya Negi, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on **22-01-2021 at 12.30 PM** in which the application(s) of applicants of Gram Sabha Khiuncha, Koot and Suru claiming rights in village forest area(s) **12-98-80 Hectares** under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee, Rampur were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim(s) of following applicant(s) were found to be in order hence admitted:-

Sr. No.	Name of applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
----Nil---			


Claim(s) of the following applicant(s) were not found in order and hence rejected:-

Sr. No.	Name of applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
----Nil---			

As informed by SDO(Civil), Rampur no application was received from Gram Sabha Khiuncha, Koot and Suru claiming right in **12-98-80 Hectares** forest area.

Place: Shimla

Date: 8-2-2021


**Deputy Commissioner-cum-Chairman,
District Level Forest Rights Committee,
Shimla**

उप-मण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 11-12-2020 की कार्यवाही रिपोर्ट

आज दिनांक 11-12-2020 को श्री सुरेंद्र मोहन (हि0प्र0से0) उप-मंडलाधिकारी (ना0) रामपुर की अध्यक्षता में Schedule Tribes & others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act FRA 2006 के अंतर्गत उप-मंडल स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक हुई बैठक में निम्नलिखित सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया

1. श्री कुलताज सिंह तहसीलदार रामपुर।
2. श्री गोवेधन शर्मा सहायक अभियंता सराहन।
3. श्री राज कुमार नेगी वन परिक्षेत्र अधिकारी सराहन।
4. श्री विपन कुमार वन खण्ड अधिकारी नोगली।
5. श्री सोहन नेगी वन खण्ड अधिकारी।
6. श्रीमति बिशना भंडारी गाँव व डा. झाकड़ी तहसील रामपुर। (गैर सरकारी सदस्या)
7. श्री यशवंत शर्मा संपर्क अधिकारी जी सी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड

सर्व प्रथम अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित हुए सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों का बैठक में उपस्थित होने पर स्वागत किया, तदोपरान्त बैठक में निम्न मदों पर चर्चा की गई।

मद संख्या :-1 प्रस्तावित गानवी मंधारा, छलाडी, निन्वी सड़क निर्माण के लिए सरकारी भूमि रकवा तादादी रक्वा 03-23-95 हेक्टर कब्जा स्वयं तावे हकूक मुताविक नक्शा वर्तन वर्तनदारान मुताविक नक्शा वर्तन मौजा गानवी दर्ज मालकागजात है प्रस्तावित भूमि के लिए वन अधिकार समिति गानवी ने प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 28-07-2016 के माध्यम से सहमति दी है। जिसमें वन अधिकार समिति गानवी ने सहमति प्रकट करते हुए वन अधिकार अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है। वन विभाग के प्रतिनिधि की कोई आपति नहीं है यह भूमि जनहित के लिए आवश्यक रूप से अर्जित होनी है उपरोक्त जमीन पर वन अधिकार सम्बंधित दावा लंबित नहीं है अतः इस मामले को संस्तुति सहित जिला वन अधिकार समिति को भेजना उचित है।

मद संख्या :-2 प्रस्तावित पान्जीधर, शुमाय पशगाँव सड़क निर्माण के लिए सरकारी भूमि रकवा तादादी रक्वा 01-93-82 हेक्टर कब्जा स्वयं तावे हकूक मुताविक नक्शा वर्तन वर्तनदारान मुताविक नक्शा वर्तन उप- मौजा पशगाँव दर्ज मालकागजात है जिसमें वन अधिकार समिति पशगाँव ने सहमति प्रकट करते हुए अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है। वन विभाग के प्रतिनिधि की कोई आपति नहीं है यह भूमि जनहित के लिए आवश्यक रूप से अर्जित होनी है उपरोक्त जमीन पर वन अधिकार सम्बंधित दावा लंबित नहीं है अतः इस मामले को संस्तुति सहित जिला वन अधिकार समिति को भेजना उचित है।

मद संख्या :-3 प्रस्तावित क्याओ से खन्नीधर सड़क निर्माण के लिए सरकारी भूमि

रकवा तादादी रकवा 02-51-29 हेक्टर कब्जा स्वयं तावे हकूक मुताविक नक्शा वर्तन वर्तनदारान मुताविक नक्शा वर्तन (मौजा क्याओ रकवा 02-39-71 + मौजा खन्नीधार रकवा 00-12-08) कुल रकवा 02-51-29 हेक्टर दर्ज मालकागजात है। जिसमें वन अधिकार समिति क्याओ व खन्नीधार ने प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 02-10-2016 व प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 28-09-2016 के माध्यम से सहमति प्रकट करते हुए वन अधिकार अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है। वन विभाग के प्रतिनिधि की कोई आपति नहीं है यह भूमि जनहित के लिए आवश्यक रूप से अर्जित होनी है उपरोक्त जमीन पर वन अधिकार सम्बंधित दावा लंबित नहीं है अतः इस मामले को संस्तुति सहित जिला वन अधिकार समिति को भेजना उचित है।


मद संख्या :-4

प्रस्तावित कोट दोगरी लघु हाइड्रो बिजली परियोजना (10MW) के निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि मलकीयत सरकार मौजा खिउंचा रकवा 01-87-91 हेक्टर मौजा DPF खिउंचा प्रथम रकवा 03-15-02, मौजा कूट 04-89-63 हेक्टर व मौजा सुरु 03-06-24 हेक्टर कुल रकवा 12-98-80 हेक्टर भूमि प्रस्तावित है प्रस्तावित भूमि के लिए वन अधिकार समिति खिउंचा ने प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 28-09-2016, वन अधिकार समिति कूट ने प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 28-09-2016 व वन अधिकार समिति सुरु ने प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 28-09-2016, के माध्यम से सहमति दी है। जिसमें वन अधिकार खिउंचा, कूट व सुरु ने सहमति प्रकट करते हुए वन अधिकार अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है। वन विभाग के प्रतिनिधि की कोई आपति नहीं है यह भूमि जनहित में आवश्यक रूप से अर्जित होनी है उपरोक्त जमीन पर वन अधिकार सम्बंधित दावा लंबित नहीं है अतः इस मामले को संस्तुति सहित जिला वन अधिकार समिति को भेजना उचित है।

मद संख्या :-5

प्रस्तावित नन्ती से टिक्कर सड़क निर्माण के लिए FRA जिला स्तरीय कमेटी दुवारा पत्र संख्या SML-SR (57)/2014-606 दिनांक 01-08-2017 को कुल रकवे का प्रमाण पत्र जारी हो चुका है लेकिन मोहल वन अधिकार समिति समिति नन्ती के फार्म संख्या 1, 2 व 5 उप-मंडल स्तरीय कमेटी व जिला स्तरीय कमेटी में संलग्न नहीं थे अब संलग्न किए गए हैं प्रस्तावित नन्ती से टिक्कर सड़क निर्माण के लिए सरकारी भूमि रकवा तादादी रकवा 02-16-67 हेक्टर कब्जा स्वयं तावे हकूक मुताविक नक्शा वर्तन वर्तनदारान मुताविक नक्शा वर्तन (मौजा नन्ती रकवा 01-52-64 + मौजा टिक्कर रकवा 00-11-05 + मौजा DPF टिक्कर रकवा 00-52-98) कुल रकवा 02-16-67 हेक्टर है। जिसमें वन अधिकार समिति नन्ती ने प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 15-04-2016 के माध्यम से सहमति प्रकट करते हुए वन अधिकार अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है। वन विभाग के प्रतिनिधि की कोई आपति नहीं है यह भूमि जनहित के लिए आवश्यक रूप से अर्जित होनी है उपरोक्त जमीन पर वन अधिकार सम्बंधित दावा लंबित नहीं है अतः इस मामले को संस्तुति सहित पुनः जिला वन अधिकार समिति को भेजना उचित है।


अन्त में बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का अध्यक्ष महोदय दुवारा बैठक में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद किया गया।


उप-मंडलाधिकारी (ना०),
रामपुर बुशहर जिला शिमला हि०प्र०,

पृष्ठांकन संख्या :- आर०एम०पी०/एस०डी०के०/2020- 98। दिनांक 14-12-2020

प्रतिलिपि :-

- ✓ 1. उपायुक्त महोदय शिमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. सम्बंधित अधिकारी /कर्मचारी तथा गैर सरकारी सदस्यों को प्रेषित


उप-मंडलाधिकारी (ना०),
रामपुर बुशहर जिला शिमला हि०प्र०

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत कूट
विकास खण्ड 20142 जिला शिमला (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

अध्यक्षता श्री/श्रीमति विजय सिंह

दिनांक 02/10/2016

गणपूर्ति 96/190

प्रस्ताव संख्या 10

विषय: Gee Gee Hydro Power Pvt Ltd. विभाग/संस्था को Kat Dargi SHEP
(10MW) के निर्माण हेतु Khiuncha DPE-Khiuncha-Ist, Keat, Suru
जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 12-98-80 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की
मंजूरी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु।

ग्राम पंचायत कूट की बैठक आज
दिनांक 02/10/2016 को 12:00 बजे, स्थान कूट
में की गई, जिसमें Gee Gee Hydro Power Pvt Ltd. विभाग/संस्था
को Kat Dargi SHEP (10MW) के निर्माण हेतु Khiuncha DPE-Khiuncha-Ist
Keat, Suru जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 12-98-80 हैक्टेयर वन
भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी
तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि ग्राम पंचायत को उपरोक्त प्रस्ताव के
लिए वन भूमि दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन
अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा
की गई तथा सर्व सम्मति से यह परित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन
अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा
प्रस्तावित 12-98-80 हैक्टेयर वन भूमि को Kat Dargi SHEP (10MW)
निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा Keat की सहमति दी जाती
है।

स्थान Keat
दिनांक 02/10/2016

ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा Khiuncha
विकास खण्ड Rampur जिला Shimla (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 28.09.2016

7 / 7

प्रस्ताव संख्या 01

GEE CEE HYDRO POWER PVT. LTD. विभाग/संस्था को KOT DOGRI SHEP
(2 MW) के निर्माण हेतु Khiuncha, DPE-Khiuncha Ist
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 5-02-93 हैक्टयर वन भूमि के
की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा Khiuncha की बैठक आज दिनांक
7.2016 को 11:30 बजे स्थान Khiuncha में
जिसमें GEE CEE HYDRO POWER PVT. LTD. विभाग/संस्था को KOT DOGRI SHEP (10 MW)
के निर्माण हेतु Khiuncha, DPE-Khiuncha Ist जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित
5-02-93 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने
सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर
है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की
अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से
तकिया गया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी
पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 5-02-93 हैक्टयर वन भूमि को Kot
अथवा SHEP (10 MW) निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा Khiuncha की
दी जाती है।

Khiuncha
28.09.2016

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

Anil

अधीकृत अधिकारी, विकास
ग्राम सभा, जिला (हि0प्र0)

प्रमाणित
वन अधिकार अधिकारी, जिला
वन सहायक जिला अधिकारी, जिला

9

पञ्च नाम
जिला का
Kaat
Rampur
Shimla (15070)

दिनांक 28.09.2016

पृष्ठ 6 / 7

पृष्ठ संख्या 1

GEE CEE HYDRO POWER PVT LTD. निम्न लेखा का Kat Dagri SHEP
(10mw) के निर्माण हेतु Kaat
अनल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 4-89-63 हेतु वन भूमि के
उपयोग की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

28.09.2016 को Kaat 11100 वन क्षेत्र का Kat
GEE CEE HYDRO POWER PVT LTD. निम्न लेखा का Kat Dagri SHEP (10mw)
के निर्माण हेतु Kaat
4-89-63 हेतु वन भूमि के उपयोग की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर सहमत हो गई।

श्री सामन्तलाल ने सहायक वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग की उपस्थिति की पूरी तरह समझने
के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह काम सभा परामर्श प्रस्ताव को लिए वन भूमि दिए जाने पर
सम्मत है।

एन सीसी की इस बैठक में अनुमोदित सम्मति और अन्य परामर्शों के निवेदन (वन अधिनियम की
अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत वन अधिनियम के प्रावधानों के विचार पर भी सर्व की गई तथा यह सम्मति है
यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिनियम के प्रावधानों के विचार पर परामर्श प्रस्ताव को
सर्व सम्मति से स्वीकार कर लिया गया है तथा प्रस्तावित 4-89-63 हेतु वन भूमि को Kat
Dagri SHEP (10mw) निर्माण हेतु उपयोग के लिए वन सभा Kaat

स्थान Kaat
दिनांक 28/09/2016

अधीकृत इन्तजामदार
याम सभा

CC
पिंकी RAMA SIM
वन अधिकारी सभा
तहसील रामपुर जिला शिमला (हिमाचल)

प्रमाण Sunda
वन अधिकारी सभा
तहसील रामपुर जिला शिमला (हिमाचल)

जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की भाष्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा SURU
विकास खण्ड RAMPUR जिला SHIMLA (हि०प्र०)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 28.09.2016

6 / 7

प्रस्ताव संख्या 3

GEE CEE HYDRO POWER PVT. LTD. विभाग/संस्था को KOT DOGRI SHEP (10 MW)
के निर्माण हेतु SURU
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 3-06-24 हैक्टयर वन भूमि के
की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा SURU की बैठक आज दिनांक
9.2016 को 11:00 बजे स्थान SURU
जिसमें GEE CEE HYDRO POWER PVT. LTD. विभाग/संस्था को KOT DOGRI SHEP (10 MW)
के निर्माण हेतु SURU जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित
3-06-24 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने
सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर
है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की
अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से
हैत किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बंधित सारी
पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 3-06-24 हैक्टयर वन भूमि को KOT
DOGRI SHEP (10 MW) निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा SURU को
दी जाती है।

SURU

28.09.2016

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता


ग्राम सभा



वन अधिकार समिति, सुरु
तह० रामपुर, जिला शिमला हि०प्र०

सचिव Mishy

वन अधिकार समिति, सुरु
तह० रामपुर, जिला शिमला हि०प्र०



OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL OFFICER (CIVIL), RAMPUR,
DISTT. SHIMLA, HIMACHAL PRADESH


Proceeding of the meeting of the Sub-Divisional Level Committee constituted under Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act, 2006.

A meeting of the Sub-Divisional Level Committee of Rampur Sub-Division constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Sh. Surender Mohan, HPAS, Sub-Divisional Officer (C), Rampur, Distt. Shimla, H.P. on 11-12-2020 at 10:30 AM at Rampur, in which the application of the applicant of M/S Gee Cee Hydro Power Pvt. Ltd. for diversion of forest land area measuring mohal Khiuncha area 01-87-91 hect. and mohal DPF khiuncha-1st area 03-15-02 hect. (total area 05-02-93 hect.), mohal koot area measuring 04-98-63 hect. and mohal suru 03-06-24 hect. Total measuring area 12-98-80 hect. of land in Forest Division Rampur for construction of Kot Dogri SHEP (10MW) Tehsil Rampur District Shimla under FRA 2006 duly processed and recommended by the Forest Right Committee Khiuncha, Koot and Suru was discussed and consider the same and forwarded with recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detail discussion the application of the applicant were found to be in order and recommended for admission to District Level Committee.

Place :- Rampur

Dated :- 11-12-2020


SDO © Cum-Chariman,
Sub-Divisional Level Committee

PROCEEDINGS OF THE MEETING OF DISTRICT LEVEL FOREST RIGHTS COMMITTEE HELD ON 22-01-2021 at 12:30 PM UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SHRI ADITYA NEGI, IAS, DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA.

Meeting of the District Level Forest Rights Committee was convened on 22-01-2021 at 12:30 PM under the Chairmanship of Shri Aditya Negi, IAS, Deputy Commissioner, Shimla in his office chamber. The followings were present:-

1. Smt. Prabha Rajeev
2. Sh. Ashok Kr Negi
3. Sh. Arvind Kumar
4. Sh. Susheel Rana
5. Sh. Devinder Chauhan

Addl. District Magistrate (L&O).
 Divisional Forest Officer, Theog.
 Divisional Forest Officer, Rampur.
 Divisional Forest Officer, Shimla (Rural).
 Range Officer, Dodrakawar.

At the outset, the Deputy Commissioner, Shimla welcomed all the members of the committee. The ADM (L&O) apprised that following 19 cases approved by the Sub-Divisional Level Forest Rights Committees to issue FRA certificate for processing the cases under the Forest Conservation Act, 1980 have been received from the respective Sub-Divisional Officers (C).

Sr. No.	Name of Proposals
1.	Construction of link road Jatingri to Shalangra, Mohal Kutasani, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla.
2.	Construction of Fire Training Centre Baldeyan, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla.
3.	Construction of Link road from Ghillu to Shakrogda, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla.
4.	Construction of Research & Training Institute, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla.
5.	Construction of GMS Building at Jatoli, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla.
6.	Construction of water Storage Tank, Moot Court Library Block and Legal Aid Clinic, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla.
7.	Construction of road from Bamta Kainchi to Mamvi Pujarli (Shangroli) via Jagdah, Tehsil Chopal, District Shimla.

8.	Construction of Sheel Thachali Soyab Bagna Road, Tehsil Nerwa, District Shimla.
9.	Construction PHC building at Dewat Tehsil Nerwa, District Shimla.
10.	Construction of Tehsil building at Kupvi, Tehsil Kupvi, District Shimla.
11.	Construction of Sarain Micro Hydel Project (100Kw).
12.	Construction of road from Ganvi Madhara Chaladi Ninvi, Tehsil Rampur, District Shimla.
13.	Construction of road from Pajidhar Pashgoan to Shuamaya, Tehsil Rampur, District Shimla.
14.	Construction of road from Keo to Khanidhar, Tehsil Rampur, District Shimla.
15.	Construction of Kot Dogri SHEP (10MW), Tehsil Rampur, District Shimla.
16.	Construction of road from Fancha to Nanti Tikkar, Tehsil Rampur, District Shimla.
17.	Construction of Saru-I Small Hydro Electric Project (3MW), Tehsil Dodrakwar, District Shimla.
18.	Construction of Saru Top Hydro Power Project (1.5MW), Tehsil Dodrakwar, District Shimla.
19.	Construction of Rupin HEP (45 MW), Tehsil Dodrakwar, District Shimla.

All the cases were perused and considered by the committee and after discussion, the same were approved to issue FRA Certificate for processing cases by the user departments under Forest Conservation Act, 1980.

The meeting ended with vote of thanks to and from the chair.

**Deputy Commissioner-cum-Chairman,
District Level Forest Rights Committee,
Shimla, District Shimla, H.P.**